

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छत्तरगढ़ जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी – सीता शर्मा आर.ए.एस

मैनुयल केस न :- RS/2015/59
पोर्टल केस न :- 2015/00130

1. बरकत अली पुत्र सदूखां कौम मुसलमान साकिन केलां तहसील छत्तरगढ़ जिला बीकानेर।
2. मांगी पुत्री सदूखां कौम मुसलमान साकिन केलां तहसील छत्तरगढ़ जिला बीकानेर।
प्रार्थी

बनाम

1. सदूखां पुत्र ज्यान मोहम्मद कौम मुसलमान साकिन लाखनसर तहसील छत्तरगढ़ जिला बीकानेर।
2. अमीनखां पुत्र सादक खा कौम मुसलमान साकिन लाखनसर तहसील छत्तरगढ़ जिला बीकानेर।
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिए तहसीलदार ;राजस्व, छत्तरगढ़।
अप्रार्थी

दावा अन्तर्गत धारा 88, 188, 53 राज काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित – वादी वकील एवं वादी स्वयं अनुपस्थित

निर्णय

दिनांक:-

पत्रावली पेश हुई। वादी वकील अनुपस्थित। बार-बार आवाजें लगवाई गई। वादी वकील व वादी स्वयं कोई उपस्थित नहीं आया। पत्रावली इसी स्तर अदम पैरवी व अदम हाजरी में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दायरा नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हों।

यह आदेश आज दिनांक 18.11.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सीता शर्मा)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छत्तरगढ़(बीकानेर)